कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा **श्री शिवशंकर सोमपुरा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गडामोरैया जिला डूंगरपुर का स्थानान्तरण आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगर सारण, चीखली जिला डूंगरपुर किया गया था** जिसके विरूद्ध श्री शिवशंकर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 2098/2018 शिवशंकर सोमपुरा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2018 द्वारा अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (**REASONED SPEAKING ORDER**) प्रसारित कर निरस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी श्री शिवशंकर सोमपुरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के हृदय सम्बन्धी रोग से पीड़ित होने एवम् स्थानान्तरित स्थान के करीब 70 किमी दूर स्थित होने की स्थिति पर विचार करते हुए अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गडामोरैया जिला बाड़मेंर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। श्री शिवशंकर सोमपुरा को विभागीय आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा राउमावि डूंगर सारण, चीखली जिला डूंगरपुर में उनके गृह जिले में ही स्थानान्तरित किया गया था, किन्तु इनके द्वारा अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर 7 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कार्यग्रहण नहीं किया जाकर विभागाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की गई। याचिकार्थी राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित अधिकारी का पद धारित है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिये गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

माननीय अधिकरण द्वारा भी हस्तगत प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि ''विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2018 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ एक वैद्य आदेश है। सेवा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है एवं स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है। ऐसा कोई विधिक आधार नहीं है, जिसके कारण उक्त स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर 1991 एस.सी. 532 में समान विचार प्रकट किये गये हैं। अतः याचिकार्थी श्री शिवशंकर सोमपुरा के अभ्यावेदन को एतद्द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.02.2019 तक अपने स्थानान्तरित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम–17 सी.सी.ए. में विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/शिवशंकर सोमपुरा/अपील/2098/2018 दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, डूंगरपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक डूंगरपुर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी श्री शिवशंकर सोमपुरा को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 719/2018 श्री रामकरण मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा अपीलार्थी से सम्बन्धित आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 पर अन्तरिम स्थगनादेश प्रदान करते हुए **योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए राज्य हित में नवीन आदेश प्रसारित कर स्थानान्तरित/पदस्थापित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी।**

माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मद्देनजर श्री रामकरण मेघवाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–बडौद (BAROD), सुल्तानपुर जिला कोटा को **प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं राज्य हित में तत्काल प्रभाव से राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शादा (SHADA), कोटड़ा जिला उदयपुर पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जाता है।** श्री रामकरण मेघवाल को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.02.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सम्बन्धी समस्त सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

इन्हें उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर यात्रा–भत्ता एवं योगकाल नियमानुसार देय होगा।

(हस्ताक्षर)
(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/अपील/719/2018 **दिनांकः** 01.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, कोटा/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, (माध्यमिक) कोटा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक श्री रामकरण मेघवाल को आदेश की पालनार्थ।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner